अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़े अफसोस के साथ हना पड़ता है कि जब कभी माननीय सदस्य ने कोई सवाल पूछा है और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया और उन से कहा कि वे बैठ जायें, तो हमेशा उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं उन्हें इजाजत नहीं देता । उन्होंने मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया है । जब यह विधान हैं, कानून है, कि लैंड एक्विजेशन ऐक्ट स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना है । अगर स्वामीजी ऐसी बात करें जो इसकी उल्टी हो तो मैं कैसे यहां पर इसकी इजाजत दे दूं ? अगर इस पर मेरे उपर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं इजाजत नहीं देता, तो मैं कैसे इसकी इजाजत दे सकता हूं, जब कि वह कानून के बरखिलाफ़ है ? मैं जानता हूं कि साफ कानून है। हां,अगर पार्लियामेंट उसे बदल दे तो दूसरी बात है ।

Papers to be laid on the Table.

Shri Ranga (Chittoor) *rose*—

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आप इस मामले में यह कह रहे थे कि यह बिल्कुल केन्द्र के अधीन है ही नहीं जो इस को स्वीकार किया जाय हालांकि हम लोग कई दिन से कह रहे थे । अब यह केन्द्र के अधीन कैसे हो गया ? इसी तरह से मैं कहूंगा कि केन्द्र इस मामले को ले सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने खुद अर्ज किया कि कम्पेन्सेशन का सवाल किसी तरह से सेंट्रल पार्लियामेंट के अन्दर नहीं आता, और न आना चाहिये । मुझ पर जोर डाला गया हर एक तरफ से और जब मैंने गवर्नमेंट पर जोर डाला कि नहीं, इस का कोई जवाब दिया जाय तो क्या इस का यह मतलब है कि मुझ से उल्टे कहा जाय कि अगर यह सवाल लिया गया है तो क्यों लिया गया है और अगर यह लिया गया है तो इस का जवाब दिया जाये ?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस के विवरण को जानने के लिये डाक्टर साहब को पहले ही लगाया था, इसलिये . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । अब कोई दूसरी चीज पैदा नहीं होती ।

12.33 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

CENTRAL GOVERNMENT LOANS FLOATED IN 1963-64

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): Sir, I beg to lay on the Table a statement indicating the results of Central Government Loans floated in 1963-64.

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय । यहां पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बागड़ी : मेरा मतलब यह था कि घरना उठेगा या नहीं, इस के बारे में कुछ नहीं बताया गया ।

Mr. Speaker: Shri Bhagat.

NOTIFICATION UNDER THE CUSTOMS ACT, 1962 AND THE CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, 1944

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): Sir, I beg to lay on the Table—

(i) a copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944, making certain further amendments to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960:—

(a) G.S.R. No. 1364 dated the 17th August, 1963.

(b) G.S.R. No. 1365 dated the 17th August, 1963.

[Shri B. R. Bhagat]

[*Placed in Library. See* No. LT-1593/63].

(ii) a copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(a) G.S.R. No. 1357 dated the 10th August, 1963.

(b) G.S.R. No. 1358 dated the 17th August, 1963.

(c) G.S.R. No. 1359 dated the 17th August, 1963.

(d) The Customs Valuation (Amendment) Rules, 1963 published in Notification No. G.S.R. 1360 dated the 17th August, 1963.

(e) G.S.R. No. 1361 dated the 17th August, 1963.

(f) G.S.R. No. 1362 dated the 17th August, 1963.

(g) G.S.R. No. 1363 dated the 17th August, 1963.

[*Placed in Lirary, See* No. LT-1594/63].

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अपनी निजी सफाई देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । इस वक्त किसी सफाई की बात नहीं है । आप के बखिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : परसों अन्न मंत्री श्री पाटिल ने हम लोगों के ईमान पर शक किया था ।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा सवाल था ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप से जितनी जल्दी हो सके मुझे मौका दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है । आप दर्म्यान में कार्रवाई न रोका करें ।

Shri Bhagat: I have laid it.

Mr. Speaker: Messages from Rajya Sabha. Secretary.

12.33 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:—

(i) 'In accordance with the provisions of rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 27th August, 1963, agreed without any amendment to the All India Services (Amendment) Bill, 1963, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 13th August, 1963.

(ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 21st August, 1963, adopted the following motion concurring in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from the Rajya Sabha to the Public Accounts Committee for the unexpired portion of the term ending on the 30th April, 1964 in the vacancy caused by the resignation of Shri Nawab Singh Chauhan from the Rajya Sabha:—

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one member from the Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the Lok Sabha, for the unexpired portion of the term ending on the 30th April, 1964, in the vacancy